न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 12/2025 (Bank Case)

GCMS No.-2025/191

भारतीय स्टेट बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय :– 3–ह–9, बीएसएनएल कस्टमर केयर, विज्ञान नगर, झालावाड रोड, कोटा (राज0) में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री विजय प्रसाद। – प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

श्री विनोद कुमार प्रजापति पुत्र श्री राजेश कुमार (ऋणी / बंधककर्ता)

पताः मानस गांव, घघटाना रोड, कोटा (राज.) 325201

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 10 .12.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भारतीय स्टेट बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय :– 3–ह–9, बीएसएनए केयर, विज्ञान नगर, झालावाड रोड, कोटा (राज0) में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थी ने दिनांक 30.08.2019 को रूपये 10,00,000/– (अक्षरेः रूपये दस लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे 1) **(Hypothecation of Movable Properties) Please mention all the hypothecated properties viz. current assests including stocks, stocks in trade recivables. Consumable stores and spares and entire current assest and hypothecated movable plant and machinery etc. of the company mentioned in the documents**
2) **(Equitable Mortgage of Immovable Properties) CAR MAHINDRA-XUV 300 DIESEL W6, (Registration no RJ20-CG-3075, Engine No.- ETKZG60460, Chassis No.- MAINM2etik2g77133** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.03.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रूपये 9,81,141/–रूपये (अक्षरेः– नो लाख इक्यासी हजार एक सौ इकतालीस रूपये मात्र) दिनांक 17.07.2025 तक व से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से सरफेसी एक्ट के प्रावधान अनुसार वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि

मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की

1) **(Hypothecation of Movable Properties) Please mention all the hypothecated properties viz. current assests including stocks, stocks in trade recivables. Consumable stores and spares and entire current assest and hypothecated movable plant and machinery etc. of the company mentioned in the documents**

2) **(Equitable Mortgage of Immovable Properties) CAR MAHINDRA-XUV 300 DIESEL W6, (Registration no RJ20-CG-3075, Engine No.- ETKZG60460, Chassis No.- MAINM2etik2g77133** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 10 .12.2025 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा,

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)